RISING RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. **38 / 2023** **GCMS NO 2023/38**

प्रार्थी–

1. श्री विकास अधिकारी, सिवाना, पंचायत समिति सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर, पंचायत समिति सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा
2. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपुत निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपतसिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 के विरूद्ध दिनांक 09.09.2021 न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं दिनांक 01.01.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रारूप 23 नियम 167(1) के तहत ग्राम मोकलसर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 21 दिनांक 05.2.2009 को जारी किये गये। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
बालोतरा

ग्राम पंचायत मोकलसर से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सिवाना का सरपंच पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) (ख) तहत उक्त आलोच्य पट्टा दिनांक 5.2.2009 को अप्राथी संख्या 2 के पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है। दिनांक 5.2.2009 को ग्राम पंचायत मोकलसर की सरपंच श्रीमती ओमकंवर थी तथा आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित सभी ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता तत्कालिन सरपंच श्रीमती ओमकंवर ने की थी। उक्त पट्टा तत्कालिन सरपंच के पारिवारिक सदस्य देवर, जेठ, पति व अन्य पारिवारिक सदस्यों को जारी किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की ध्धारा 48 (3) में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायतराज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा। यदि वह ऐसा प्रश्न है जिसमें जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी घनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये तब तक बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज अधिनियम की उक्त धारा के विपरित जाकर अपने ही रिश्तेदार पारिवारिक सदस्यों को आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान पंचायती राज नियम 996 के नियम 157 (1) (ख) के तहत आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिस नियम के अन्तर्गत वादग्रस्त पट्टाधारी जमीन पर पट्टाधारी का कम से कम 50 वर्ष से अधिक का कब्जा होना एवं रहवास होना आवश्यक है, लेकिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा एवं रहवास बाबत् किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त जमीन पर अप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी कब्जा एव रहवास नहीं रहा है। आलोच्य पट्टा खाली भूखण्ड का जारी किया गया है, खाली भुखण्ड का पट्टा निगम 157(1) के तहत जारी करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 22 (नियम 148) के तहत उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहॉ पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं है। विधिनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनिमय के नियम 145 से 148 की पालना नहीं की गई। इस प्रकार उक्त विवादित पट्टा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाये बिना ही नियम 157 की घोर अवहेलना करते हुए जारी कर दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल अवैधानिक अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित

जिला कलक्टर
बालोतरा

जिला कलक्टर बालोतरा

प्रावधानो के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड मौजा मोकलसर में अवस्थित है। निगरानी याचिका में आलौच्य पटटा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 को जारी किया गया, होना प्रार्थी द्वारा बताया गया है, जबकि प्रार्थी स्वयं विकास अधिकारी पंचायत समिति सिवाना तत्तकालीन समय थे तथा ग्राम पंचायत मोकलसर उनके क्षेत्राधिकार अधीन थी अर्थात प्रार्थी द्वारा यह अविलम्ब नहीं लिया जा सकता कि उक्त पटटा पत्रावली एवं उसमें की गयी कार्यवाहियां उनके संज्ञान मे नहीं आई हो। उक्त आलोच्य पट्टा वर्ष 2009 को जारी किये गये, जबकि प्रार्थी द्वारा निगरानी वर्ष 2021 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा लगभग 12 साल बाद उक्त निगरानी पेश की गई, जो म्याद बाहर पेश की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्याय निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जहां पर म्याद प्रावधित नहीं हो, वहां पर रिजनेबल पिरियड 3 वर्ष समझा जायेगा, इसके अतिरिक्त लिमिटेशन एक्ट शेडयुल 217 में भी जहां पर म्याद नहीं प्रारम्भिक हो, वहां 3 वर्ष की अवधि रिजनेबल पिरियड माना गया है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आलोच्य पटटा वर्ष 2009 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता, औचित्यता या अनियमितता के बारे में लगभग 12 वर्ष के बाद असाधारण विलम्ब (Inordinate delay) के बाद चुनौती दी है। इस असाधारण विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थी विकास अधिकारी की ओर से पृथक से कोई धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही निगरानी याचिका में यह वर्णित किया गया है कि उक्त पटटा जारी करने की कार्यवाही एवं पटटा जारी करने की दिनांक एवं उक्त आलोच्य पटटा की जानकारी उन्हे प्रथम बार सितम्बर वर्ष 2021 में हुई हो, अर्थात विलम्ब होने का एवं विलम्ब माफ करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रकरण पत्रावली में दर्शित नहीं किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) में उल्लेखित प्रावधान का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है, क्योकि तत्कालीन सरपंच स्वयं ने अपने किसी धनीय हित हेतु स्वयं के नाम से ऐसी कोई प्रतिभूति या पटटा अपने नाम से जारी नहीं किया है। चूंकि गजेन्द्रसिंह व जितेन्द्रसिंह का परिवार तत्कालीन सरपंच औमकंवर से तत्कालीन समय से पूर्व वर्षों से अलग–अलग रह रहे थे। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी से 2 के पुराना स्वामित्व की थी तथा कब्जा अप्रार्थी से 2 का पुराना था अर्थात पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) (ख) के तहत पट्टा अप्राथर्थी सं 2 के हक में उनके पुश्तैनी पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत जारी किया

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया है, जो सही किया गया है। शिकायतकर्ता का यदि कोई वादग्रस्त भूखण्ड पर हक हित हो तो यह सक्षम सिविल न्यायालय में घोषणा का वाद कर सकता है। निगरानी याचिका मात्र एक सरसरी जांच कार्यवाही है, जिसने पक्षकारों के कब्जे व स्वामित्व अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं होता है। पटटा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण विधिक पालना करके राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 145 से 148 की पालना करते हुए उक्त पटटा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से विधिक प्रावधान की अवहेलना नहीं की गयी है तथा न ही किसी प्रकार से अवैधता व अनियमितता बरती गयी है। अतः अप्रार्थी संख्या 02 के नाम आलोच्य पटटा दिनांक 05.02.2009 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

6. हमने पत्रावली में उभयपक्ष के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 01 / 05.02.2009 के अनुपालना में आलौच्य पट्टा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मोकलसर की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 9 जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत मोकलसर से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन कब दिया, का कोई अंकन नहीं पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायतीराज नियम 157(2) के तहत आदेशिका जारी करते हुए आलोच्य पट्टा जारी होना पाया गया है, जबकि मूल आलोच्य पट्टा का प्रारूप नियम 167(1) अंकित होना पाया गया। साथ ही पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाषन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आंमत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहॉ पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 "निर्दिष्ट नोटिस [illegible] प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी", की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें शपथपत्र पट्टा जारी होने के बाद पेश किया गया होना पाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत की पत्रावली में बयान फार्म नहीं होना पाया गया। ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत मोकलसर के पत्रांक में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यायल में उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। हस्तगत प्रकरण में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 जारी करने में पंचायतीराज नियमों की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने से, रेकर्ड के अभाव से एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत मोकलसर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत मनावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या 21 दिनांक 05.02.2009 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

(सुशीला कुमारी)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर बालोतरा